चांदी की पालकी में नगर भ्रमण को निकले साईं बाबा

- मंदसौर के 25 ढोल के प्रदर्शन ने मंत्रमुग्ध किया
- साईं बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, भक्तों के जयघोष से गूंजा आसमान

कोटा, (निसं)। साईं बाबा के गगनचुम्बी गूंजते जयकारे, पारम्परिक परिवेश में पुरुष व महिलाएं, केसरिया साफा और भक्ती भाव में सराबोर भक्तों की टोली, आकर्षक झांकिया, साईं बाबा के दर्शनों के लिए आतुर भक्त और जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत का सिलसिला चलता रहा, ये नजारा गुरू पूर्णिमा महोत्सव के तहत हर वर्ष की भांती इस बार भी गढ़ पैलेस स्थित साईं मंदिर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा में देखने को मिला।

इस बार शोभायात्रा बेहद ही आकर्षक व मनोहारी लग रही थी, मंदिर समिति के साईं भक्त शिशु पंचोली, चंद्रप्रकाश जेठी ने बताया कि सुबह लोकसभा अध्यक्ष मंदिर प्रांगण में पहुंचे जहां उनका मंदिर समिति की ओर से स्वागत किया गया।

लोकसभा अध्यक्ष ने साईं बाबा का तिलक, अक्षत, चंदन लगाकर पूजन किया और सभी को गुरू पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। दोपहर को चांदी की पालकी में जैसे ही बाबा को विराजमान किया गया भक्तों ने जोशीले उद्घोष से वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

कोटा में साईं बाबा की पालकी निकाली गई।

साईं बाबा चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकलें तो लोगों का हुजूम उमड़ गया। शोभायात्रा में झाकियां, ढोल, बैंड आकर्षण का केंद्र रहे।

जीवंत झांकियों ने लोगों को बेहद ही प्रभावित किया। साईं बाबा के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को दशार्ती चार झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र रही, ये झांकियां साईं बाबा के चमत्कारों, शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को प्रदर्शित कर रही थी।

मंदसौर के ढोलों की गूंज से गूंज उठा आसमान:- शिशु पंचौली ने बताया कि साथ ही इस बार मंदसौर के 25 विशेष ढोल की गूंज से आसमान गुंजाएमान हो गया। एक साथ बजते ढोल के प्रदर्शन ने लोगों को रोमांचित कर दिया। वहीं स्थानीय ढोल भी पीछे नहीं रहे, भजन मंडली भजन करती चल रही थी तो भक्त नाचते गाते चल रहे थे, जहां से भी साईं बाबा की पालकी निकली वहां बाबा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ गई। बाबा की एक झलक पाने को लोग आतुर रहे।

किसी ने प्रसाद चढ़ाया तो किसी ने ऋतु फल चढ़ाए, इस दौरान प्रसाद वितरण किया जाता रहा। शोभायात्रा साईं पालकी साईं मंदिर से कैथूनीपोल, श्रीपुरा, सब्जीमंडी, मोहन टॉकीज रोड, गुजराती समाज, गुमानपुरा, मल्टीपरपज स्कूल, फर्नीचर मार्केट, बल्लभ नगर चौराहा, संत कंवरराम धर्मशाला, सूरजपोल गेट, राजपूत छात्रावास, कैथूनीपोल होते हुए निकाली गई। रात्रि को जैसे ही शोभायात्रा मंदिर परिसर में पहुंची वहां महाआरती की गई और लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर राखी गौतम सहित कई जनप्रतिनिधि व आमजन ने शिरकत की।

अवैध पिस्टल मय कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तारी

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा पुलिस टीम ने वारदात की फिराक में घुम रहे एक आरोपी को अवैध पिस्टल मय कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि अवैध गतिविधियों व अवैध हथियारों एवं उनके सप्लायर के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि बोरखेड़ा थाने के थानाधिकारी देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में वारदात की फिराक में घुम रहे नया नोहरा निवासी विक्रम सिंह तंवर उर्फ बिट्टु (25) को आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए अवैध देशी पिस्टल मय कारतूस सहित गिरफ्तार किया है पकड़े गये आरोपी के पास से पुलिस टीम ने बिना नम्बर की मोटरसाईकिल भी बरामद की। शहर एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी थाना बोरखेड़ा में ही प्राणघातक हमले व चाकूबाजी के दर्ज प्रकरण में भी वांछित था जो कि घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। पकड़े गये आरोपी से हथियार की खरीद-फरोख्त के मामले में अनुसंधान जारी है।

दुकानदार ने रोड पर फैलाया कचरा, लगा जुर्माना

रामगंजमण्डी, (निसं)। नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल द्वारा चलाये जा रहे सफाई अभियान के क्रम रात्रि के समय दुकानदार द्वारा रोड पर दुकान का कचरा फैलाने पर रात्रि निरीक्षण टीम द्वारा फोटो भेजकर सूचना दी गयी।

10 जुलाई गुरुवार को सफाई प्रभारी हरिओम मेघवाल द्वारा सुबह मौके पर जाकर 250 रुपए का जुर्माना किया और आगे से कचरा वाहन में ही कचरा डालने हेतु पाबंद किया गया।

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां

क्रमांक:-न.पा.छ./2025/3209 दिनांक:-07.07.25

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के न्यायधीश रखी गई भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) यूडीएच/3/2012 मई 31, 2012 के अध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 के अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं.	स्थान/कालोनी का नाम	भूखंड सं.	क्षेत्रफल
1	श्रीमती बेबी कंवर पत्नी श्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी पछाड़ तह. छीपाबड़ौद जिला (बारां)	329, 330	श्री कृष्ण विहार कालोनी छबड़ा	29	25x40=1000 वर्गफीट

नोट:- उक्त भूखंड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर होने व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक : एफ 7/डी.टी.पी./2025/105-110 **विज्ञप्ति** दि. 10.7.2025

राज्य सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के बनाये गए नियमों/प्रपत्रों के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण, भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु कोटा विकास प्राधिकरण मे विचाराधीन है, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, के भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस मे कोटा विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नही किया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड सं./ योजना का नाम	योजना/मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन	क्षेत्रफल
1.	श्री वेद प्रकाश खत्री	भूखण्ड संख्या ए-6, ए-7 योजना चित्रेश नगर ग्राम बोरखेड़ा कोटा (खसरा सं. 378/428)	आवासीय	सामान्य व्यवसायिक	557.62 वर्गमीटर

सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

सार-समाचार

शिक्षा संबल योजना में आवेदन 15 तक

कोटा, (निसं)। एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास एवं एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में संचालित शिक्षा संबल योजना की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। परीक्षा के परिणामों के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट की ओर से नीट-2026 के लिए निशुल्क कोचिंग दी जाएगी, इसके साथ ही एलएन माहेश्वरी परमार्थ न्यास की ओर से कोटा में निशुल्क भोजन व आवास व्यवस्था की जाएगी। न्यास के ट्रस्टी डॉ.नवीन माहेश्वरी ने बताया कि पात्र विद्यार्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। देशभर से विद्यार्थियों के उत्साह को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके। परीक्षा 20 जुलाई को होगी। देश के 7 हिन्दी भाषी राज्यों के सरकारी स्कूलों के हिन्दी माध्यम के चयनित विद्यार्थियों को नीट-2026 की तैयारी के लिए निशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन सुविधा के लिए यह योजना का दूसरे वर्ष है। परीक्षा में सत्र 2024-25 में जीव विज्ञान विषय से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा 20 जुलाई को देश के 7 राज्यों में 63 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। योजना में 12वीं पास 126 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। 81 छात्राएं एवं 45 छात्रों का चयन किया जाएगा। चयन के लिए उन्हीं परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से कम है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान

छबड़ा (निसं)। कस्बे में गुरू पूर्णिमा पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरूवार को न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि एसीजेएम क्रम-2 अमरजीतसिंह ने गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। यहां अभिभाषक परिषद अध्यक्ष दिनेशकुमार गालव, दिनेश चौरसिया, हरिओम शर्मा, महावीर भार्गव, महेश मालव द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता आलम हाशमी, चिरंजीवलाल भार्गव, अरविंदप्रताप, भगवान स्वरूप भार्गव, टीकमचंद टोडरिया, कृष्णगोपाल भार्गव, भगवान बलरिया, राकेश सोनी, अजय कुमार श्रीवास्तव, कमलसिंह आसावत, हेमराज राठौर, नारायणलाल चौरसिया, अब्दुल हसीब आलम, राजेश भार्गव, प्रदीप कुमार भार्गव, हेमंत पारीक, अनिल कुमार भार्गव, दिनेश गालव, बृजराजसिंह, मुकेश शर्मा, सतीश बंसल, घ्यामलाल पारीक, सुरेंद्र भार्गव, बनवीर मेहता, जालमसिंह, योगेष षर्मा का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। वही, पंचमुखी हनुमान आश्रम पीपलखेडी (बापचा) पर बापचा सरपंच महेंद्रसिंह गुर्जर व पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट दिग्विजयसिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पौधारोपण किया। यहां पर्यावरण संरक्षण के उद्देष्य से प्रतिवर्श पौधरोपण किया जाता हैं। नागेष्वर पहाड़ी पर कांस्टेबल षुभम षर्मा के नेतृत्व में अनिल योगी, अमन नागर, परम धाकड़, रोहित योगी द्वारा 30 पौधो का रोपण किया।

बाइपास निर्माण की मांग उठाई

छबड़ा (निसं)। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर छबड़ा कस्बे में बाइपास निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह बाइपास एनएच 51 रीछड़ा गांव से प्रारंभ होकर हनुमतखेडा गांव के पास जाकर मिलेगा। इस बाइपास की लम्बाई 8.50 किमी है। इस अलाइनमेन्ट पर रेलवे लाइन पड़ती है उस पर आरओबी का निर्माण करना पड़ेगा। इस बाईपास के निर्माण में अनुमानित लागत करीब 115.00 करोड रुपये का खर्चा आएगा। सिंघवी ने कहा कि छबडा कस्बे में दुकानदारों, व्यापारियों और आमजन द्वारा बाइपास निर्माण की काफी लम्बे समय से मांग की जा रही है। वर्तमान में भारी वाहनों को कस्बे के मुख्य मार्ग से होकर गुजरना पडता है, जिससे धूल, फ्लाई ऐश और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। इसके कारण दुकानदारों और आमजन को सांस की बीमारियां, एलर्जी तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसके अलावा, भारी वाहनों की आवाजाही से आए दिन दुर्घटना होती रहती है जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। बा पास निर्माण से छबडा कस्बेवासियों को प्रदूषण, दुर्घटनाओं और बीमारियों से राहत मिलेगी।

खेत में लावारिस हालत में अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा मिला

कोटा, (निसं)। राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध एवं तस्करों की धरपकड़ के लिये चलाये जा रहे अभियान को जारी रखते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने मुखबीर की सूचना पर दो अलग-अलग कार्यवाही को अंजाम देते हुए लावारिस हालत में खेत में पड़े अवैध मादक पदार्थ 121 किलो डोडा चूरा को जब्त किया साथ ही दूसरी टीम ने कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी (मेफेड्रोन) सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

यह दोनों कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई। उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि जिला चितौड़गढ़ के तहसील भदेसर गांव धोत्री खेडा में एक बाजरे के खेत में कुछ अवैध डोडा चूरा लावारिस हालत में पड़ा है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन), चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और गठित टीम मौके पर रवाना की गई। गठित टीम ने संदिग्ध खेत की तलाशी ली तो परिणामस्वरूप अवैध मादक पदार्थ 121.900 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा लावारिस हालत में बरामद हुआ। कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, एनडीपीएस एक्ट में बरामद अवैध डोडा चूरा को जब्त किया गया। मामले में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

खेत में अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा के कट्टे बरामद किये।

अवैध एमडी जब्त-केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने एक अन्य प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी (मेफेड्रोन) को जब्त किया। उप-नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाईकिल से मंदसौर-प्रतापगढ़ मार्ग पर मचलानी तिराहा के पास अवैध एमडी (मेफेड्रोन) की तस्करी के लिये जा रहा है। उक्त सूचना पर केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन), प्रतापगढ सेल और प्रतापगढ़-1,2 डिवीजन के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई और टीम मौके के लिये रवाना की गई। उप-नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई और मुखबीर द्वारा बताई गई सूचना पर वाहन की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद, निवारक दल ने उस व्यक्ति को रोका। निवारक दल ने वाहन की तलाशी ली जिसके परिणामस्वरूप कुल 58.00 ग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन) बरामद की। टीम ने कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, बरामद अवैध एमडी (मेफेड्रोन) और बाईक को जब्त कर लिया और एन.डी.पी.एस. एक्ट में कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-297 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 30.6.25

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 1568 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 24.04.2010 को श्री रामावतार सोनी पुत्र श्री मदनलाल सोनी को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री औंकार लाल राठौर पुत्र श्री कन्हैया लाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.01.2017 को श्री ओमप्रकाश राठौर पुत्र श्री औंकार लाल को विक्रय कर दिया गया है क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1568 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्री ओमप्रकाश राठौर पुत्र श्री औंकार लाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-318 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 10.7.25

नगर विकास न्यास कोटा की ट्रांसपोर्ट नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर) योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 162 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 06.05.2025 को मै. गुजरात हरियाणा टैम्पो ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो. श्री कुसला राम को किया गया था। आवंटी श्री कुसला राम की मृत्यु दिनांक 04.12.2024 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास अपने नामहस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 162 योजना ट्रांसपोर्ट नगर (शम्भूपुरा ग्रोथ सेन्टर) का नाम हस्तान्तरण श्री सुरेन्द्र सिंह गोदारा पुत्र स्व. श्री कुसला राम के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/733 **विज्ञप्ति** दिनांक:-10.7.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब में स्थित कृषि भूमि योजना लक्ष्मी विहार भूखंड संख्या 87 आवेदक/आवेदिका श्री रजाक अली पुत्र स्व. श्री बरध्या खान निवासी 87 लक्ष्मी विहार गली नं. 2 कोटा जं. कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 908 दिनांक 30.07.2013 को श्री बरध्या खान पुत्र श्री करीम खां एवं श्रीमती हसीना बानो पुत्र श्री बरध्या खान के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी बरध्या खान मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 24.10.2016 तथा पत्नी हसीना बानो की मृत्यु दिनांक 10.02.2019 को हो चुकी है। मृतकों के एक मात्र विधिक वारिसान पुत्र रजाक अली है।

अत: श्री रजाक अली पुत्र स्व. श्री बरध्या खान के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

गुरु पूर्णिमा पर कोटा में हुआ साधु-संतों का सम्मान

- मौजी बाबा आश्रम की साध्वी हेमा सरस्वती जी का शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान

कोटा, (निसं)। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेशभर में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला कलक्टर पीयूष समारिया मौजी बाबा आश्रम पहुंचे और वहां साध्वी हेमा सरस्वती का सम्मान किया। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा भेजा गया गुरु वंदन संदेश, 2100 रूपये, मिठाई, फलों का टोकरा, शॉल एवं श्रीफल भेंटकर साध्वी हेमा सरस्वती का सम्मान किया। साध्वी हेमा सरस्वती ने आशीर्वाद स्वरूप जिला कलक्टर को माला पहनाई और प्रसाद भेंट किया। गुरु पूर्णिमा पर कोटा संभाग में 43 संतों का सम्मान किया गया। इसमें कोटा जिले के 14, बूंदी के 6, बारां के 13 एवं झालावाड़ के 10 संतों-साध्वियों को गुरु वंदन संदेश भेंटकर उनका सम्मान किया गया।

कोटा जिले में साध्वी हेमा सरस्वती के अलावा हरे कृष्ण मंदिर मुकुंदरा विहार के संत भक्त सेवकदास, कबीर पारख संस्थान विनोबा भावे नगर के सद्गुरु प्रभाकर साहेब, शिवपुरी धाम थेकड़ा के सनातन पुरी महाराज, महाप्रभुजी मंदिर पाटनपोल के गोस्वामी विनय बाबा, कार्ष्णि भरत महाराज बापू नगर कोटा जंक्शन, पंडित प्रदीप जोशी रामपुरा कोतवाली, गोदावरी धाम के शैलेन्द्र भार्गव, अटपटा महादेव आश्रम रंगपुर रोड़ के नरसिंह महाराज, महाकाल मंदिर चेचट के आनंदगिरी महाराज, लटूरी गौशाला सांगोद के रामदास महाराज, महादेव जी की बगीची चारचौमा के बालकदास महाराज, बारला हनुमान जी करवाड़ के सोमपुरी महाराज एवं मठ महादेव कोलाना के महंत चतुर्भुजनाथ गिरी महाराज का राज्य सरकार की ओर से विभिन्न अधिकारियों ने सम्मान किया और मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया गुरु वंदन संदेश भेंट किया।

कारागृह का निरीक्षण

बून्दी (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा द्वारा जिला कारागृह बून्दी का निरीक्षण किया। सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि कारागृह में विधिक सेवा क्लिनिक, सीसीटीवी विंग, टेलीफोन कक्ष, रसोईघर तथा मनोरंजन के साधनों का भी अवलोकन किया गया।

आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। पोस्को क्रम-4 न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के नौ महिने पुराने मामले में सुनावाई करते हुए पकड़े गये आरोपी पिता को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई साथ ही 13500 अर्थ दंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक वन्दना नागर ने बताया कि नाबालिग पीड़िता की मां ने 2 अक्टुबर 2024 को शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अनुसंधान करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया। मामले में 9 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

क्रमांक:-ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2025/7549-50 दिनांक:-09.07.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री शम्भू सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, 1/57 इंजीनियरिंग कॉलेज स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "सुरागार रेस्ट्रो लॉज" प्लाट नं. 08, जय श्री विहार कैथून रोड कोटा पर रेस्टोरेन्ट संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त राजस्व नगर निगम कोटा (दक्षिण)

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4856 दिनांक: 10.7.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संजय कुमार अरोड़ा पुत्र स्व. श्री धनराज अरोड़ा, श्रीमती संतोष अरोरा पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र अरोरा, श्रीमती विजेता ओबेरॉय पुत्री स्व. श्री सुरेन्द्र अरोड़ा पत्नी श्री आशीश ओबेरॉय व चारु अरोड़ा पुत्री स्व. श्री सुरेन्द्र अरोड़ा निवासी भूखंड संख्या 38-बी न्यू कालोनी गुमानपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 33 एल.आई.जी.एच. गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण कराने का निवेदन किया है। भूखंड संख्या 33 एल.आई.जी.एच. गुमानपुरा कोटा क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट का आवंटन कार्यालय सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कोटा द्वारा पत्र क्रमांक ()/Acctts/59/4156 दिनांक 29.04.1960 से श्री चेतन दास पुत्र श्री तोलाराम को किया गया। श्री चेतन दास ने उक्त भूखंड जर्ये रजिस्टर्ड दतावेज तहरीर तारीख 19.02.1963 से श्री धनराज अरोड़ा पुत्र श्री तोताराम को विक्रय कर दिया। श्री धनराज अरोड़ा का देहावसान दिनांक 07.12.1995 को एवं उनकी पत्नी श्रीमती कुन्ती देवी का देहावसान दिनांक 15.06.1980 को हो जाने के उपरांत उनके विधिक वारिसान श्री संजय कुमार अरोड़ा एवं सुरेन्द्र अरोड़ा में से श्री सुरेन्द्र अरोड़ा का देहावसान दिनांक 20.11.2012 को हो जाने के उपरांत श्री धनराज अरोड़ा के विधिक वारिसान श्री संजय कुमार अरोड़ा एवं श्री सुरेन्द्र अरोड़ा के विधिक वारिसान श्रीमती संतोश अरोरा, श्रीमती विजेता ओबेरॉय व चारु अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

महिला शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की प्रेरणा है सावित्रीबाई फुले का जीवन : बिरला

- 'यह भवन गरीब परिवारों के विभिन्न आयोजनों के लिए सम्मानजनक मंच बनेगा'

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कोटा के नान्ता क्षेत्र में नवनिर्मित सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह दिन हमें उन संतों और महापुरुषों को स्मरण करने का अवसर देता है, जिन्होंने समाज को दिशा दी और व्यक्ति निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। बिरला ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह न केवल शिक्षा देता है, बल्कि जीवन को दिशा और दर्शन भी देता है। सावित्रीबाई फुले इसी परंपरा की प्रतीक थीं, जिन्होंने उस समय बालिकाओं को शिक्षा देने का साहसिक कार्य किया जब समाज इसके घोर विरोध में था। विरोध और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उनका संघर्ष और समर्पण आज भी समाज को प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, प्रशासन, सुरक्षा, कृषि और तकनीक सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति से लेकर सीमाओं पर तैनात महिला सैनिक तक, यह सब उसी शिक्षा की लौ का परिणाम है जो सावित्रीबाई फुले ने जलायी थी। बिरला ने कहा कि यह सामुदायिक भवन केवल एक संरचना नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं और मूल्यों का केंद्र है।

कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने नान्ता में नवनिर्मित सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया है।

उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ताकि यह भवन बालिकाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहे। उन्होंने कहा कि यह भवन गरीब परिवारों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए सम्मानजनक मंच बनेगा। बिरला ने नान्ता क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा करते हुए कहा कि यहां की कच्ची बस्तियों, सड़कों, पेयजल और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को देखते हुए योजनाबद्ध रूप से विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से समाज के वंचित वर्ग को सम्मानजनक जीवन मिल सकेगा। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज मेहता, पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय, कृष्णकुमार सोनी, सत्यप्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्